



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश भासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसंचिवीय)
[निम्न श्रेणी लिपिक] एवं सूबेदार (अनुसंचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] के रिक्त सीधी भर्ती एवं
सीधी-भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु चयन परीक्षा—2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम—पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	02.02.2013	
ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि	04.03.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	05.03.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	14.03.2013	
परीक्षा दिनांक व दिन	28.04.2013 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पद हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछ़ा वर्ग के लिए – रु. 500 अनु. जाति/जनजाति/निःशक्तजन के लिए –रु. 250
	सीधी भर्ती बैकलॉग के पद हेतु	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन—पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- अन्यथियों द्वारा देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न—पत्र वितरण समय	प्रश्न—पत्र परीक्षण का समय	उत्तर भरने का समय
28.04.2013 (रविवार)	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाइल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अन्यथा अपना प्रवेश—पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे— आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश भासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त सीधी भर्ती एवं सीधी-भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु चयन परीक्षा—2013

विषय—सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय—1 — पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश भासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार(अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} की भर्ती हेतु चयन परीक्षा—2013 के लिए विभागीय नियम	3—14
2.	अध्याय—2 — मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	15—20
3.	अध्याय—3 — विस्तृत पाठ्यक्रम	21
4.	अध्याय—4 — आवश्यक प्रमाण—पत्रों के प्रारूप	22—27

अध्याय – 1

**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश भासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसंचिवीय)
[निम्न श्रेणी लिपिक] एवं सूबेदार (अनुसंचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] के रिक्त सीधी भर्ती एवं
सीधी-भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु चयन परीक्षा–2013**

1. सामान्य :–

- 1.1 पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. पुमु/2-चयन/स-2/550-ए./2012, दिनांक 06.10.2012 एवं पत्र क्र. पुमु/2-चयन/स-2/794-ए./2012, दिनांक 19.10.2012 द्वारा सहायक उप निरीक्षक (अनुसंचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक तथा सूबेदार (अनुसंचिवीय) [शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)] के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उमीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- 1.2 इन नियमों का नाम “मध्य प्रदेश पुलिस : सहायक उप निरीक्षक (अनुसंचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] एवं सूबेदार (अनुसंचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] चयन नियम” होगा।
- 1.3 ये नियम मध्यप्रदेश पुलिस राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

1.2 परिभाषायें :–

- (क) “आरक्षण” से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- (ख) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ग) “अनुसूचित जन जाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना कमांक –एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।
- (च) “भर्ती का वर्ष” से अभिप्रेत है उस वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।
- (छ) “भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है” ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक” (लडाकू या गैर लडाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और—
- (1) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या
- (2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,
- (3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। विस्तृत विवरण कण्डिका में दर्शाया गया है।
- (ज) “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
- (झ) “विभाग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 पदों से संबंधित विवरण:—

1. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] के सीधी भर्ती के पदों का विवरण												
		अनारक्षित पद		आरक्षित पद						योग		महायोग
				अजजा		अजा		अपिव				
संक्र.	पदनाम	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1-	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] :: पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	35	15	14	5	11	4	10	5	70	29	99
2	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] :: मैदानी इकाईयां	44	19	21	8	18	8	11	6	94	41	135
3	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : विशेष शाखा	29	14	11	5	9	4	8	4	57	27	84
4	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : अपराध अनुसंधान विभाग	7	3	3	2	3	1	5	2	18	8	26
योग:—		115	51	49	20	41	17	34	17	239	105	344

2. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] के सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों का विवरण												
		अनारक्षित पद		आरक्षित पद						योग		महायोग
				अजजा		अजा		अपिव				
संक्र.	पदनाम	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	0	0	22	9	11	5	0	0	33	14	47
2.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : मैदानी इकाईयां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : विशेष शाखा	14	7	3	1	3	1	8	3	28	12	40
4.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] : अपराध अनुसंधान विभाग	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	3
योग:—		14	7	27	11	14	6	8	3	63	27	90

3. सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के सीधी भर्ती के पदों का विवरण												
		अनारक्षित पद		आरक्षित पद						योग		
				अजजा		अजा		अपिव				
संक्र.	पदनाम	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} : पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	56	23	21	8	17	7	16	7	110	45	155
2	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} : विशेष शाखा	17	8	3	1	2	2	3	0	25	11	36
	योग:-	73	31	24	9	19	9	19	7	135	56	191

4. सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के सीधी भर्ती—बैकलॉग के पदों का विवरण												
		अनारक्षित पद		आरक्षित पद						योग		
				अजजा		अजा		अपिव				
संक्र.	पदनाम	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} : पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	00	00	16	8	7	3	6	3	29	14	43
2	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} : विशेष शाखा	00	00	4	2	2	1	2	1	8	4	12
	योग:-	00	00	20	10	9	4	8	4	37	18	55

1.4 पदों का वेतनमान :-

संक्र.	पद नाम	वेतनमान
1.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	5200—20200+ग्रेड पे 1900/-
2.	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)}	5200—20200+ग्रेड पे 2800/-

नोट:- उपरोक्त वेतनमान या शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

1.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

क्र	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताएं
1	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा, (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था

		<p>से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College
2	सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)]	<p>(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा,</p> <p>(2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन (स्टेनोटायपिस्ट/आशुलिपिक के पद हेतु 80 शब्द प्रति मिनट तथा शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर के पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण—पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा,</p> <p>(3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College

नोट— 1. आवेदक के पास न्यूनतम अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 2. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों का विकल्प उपलब्ध होगा।

1.6. सामान्य :—

1.6.1(क) म.प्र. पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के निम्न लिखित संवर्ग है:—

- (1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा,
- (2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाईयां
- (3) अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,
- (4) मैदानी ईकाईयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, पुलिस दूरसंचार की मैदानी ईकाईयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्डौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,
- (ख) म.प्र. पुलिस में सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), के निम्न लिखित संवर्ग है:—
- (1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, मैदानी ईकाईयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, पुलिस दूरसंचार की मैदानी ईकाईयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्डौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,
- (2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाईयां

1.6.2 नियुक्ति के लिये सक्षम अधिकारी : सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक }एवं सूबेदार (अनुसचिवीय){ शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, सेनानी अथवा सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनके समकक्ष अधिकारी होगे।

1.6.3 चयन परीक्षा के लिये पुलिस मुख्यालय की शाखाओं तथा मैदानी ईकाईयों के रिक्त पदों की जानकारी चयन शाखा द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को उपलब्ध कराई जावेगी।

1.6.4 चयन परीक्षा के समन्वय एवं उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिये पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक चयन समिति गठित की जावेगी। अध्यक्ष समेत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

1.6.5 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} की भरती हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उनके नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप आयोजित की जावेगी।

1.6.6 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा चयन परीक्षा के उपरांत लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूचियां पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।

1.6.7 पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों का परीक्षण कर योग्य उम्मीदवारों को पृथक किया जावेगा। योग्य उम्मीदवारों की सूची की अनुमोदन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जावेगा।

1.7 सेवा में नियुक्ति :

इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां केवल सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत की की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति इस नियम के विनिर्दिष्ट नियुक्ति के तरीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

1.8 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} पद हेतु नियुक्ति का तरीका :—

1.8.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात्—

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैं सियत में धारण करते हों।

(ग) म.प्र. शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा

1.8.2 शासन आदेशानुसार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के पदों पर 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (प्र.आर.“एम”/आर.“एम”) के लिये आरक्षित किये गये हैं, नियुक्ति के समय सीधी भरती के पदों की गणना हेतु तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

1.8.3 इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

18.4 उपनियम 1.8.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.8.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते हैं।

1.9 सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} पद हेतु नियुक्ति का तरीका :—

1.9.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात्—

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैं सियत में धारण करते हों।

1.9.2 इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

19.3 उपनियम 1.9.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.9.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते हैं।

1.10 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती:-

1.10.1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जावेगा। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा स्वयं अथवा एम.पी. ऑन-लाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

1.10.2 भरती के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे समयान्तर पर होगी जैसा कि पुलिस मुख्यालय समय—समय पर निर्धारित करें।

1.10.3 सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिये समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य है। सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से महिलाओं के लिये, उतने पद आरक्षित रखें जावेंगे जितने राज्य सरकार समय—समय पर पुलिस विभाग के लिये आदेशित करें। वर्तमान नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा। उदाहरणः— उदाहरण के लिये यदि किसी इकाई में 100 पद रिक्त विज्ञापित होते हैं और रोस्टर के अनुसार अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं तो क्रमशः 16, 20 और 14 कुल 50 पद इन वर्गों के लिये आरक्षित होंगे और शेष 50 पद खुली प्रतियोगिता के होंगे।

अब शासन के आदेशानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण है, इसका आशय यह है कि अनुसूचित जाति के 16 पदों में से 30 प्रतिशत यानि कि 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 20 में से 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 14 में से 4 पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार महिलाओं के लिये शेष 15 पद सामान्य एवं खुली प्रतियोगिता के वर्ग में चिन्हित होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जाति वर्ग में योग्य महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति वर्ग के योग्य पुरुष के द्वारा वह रिक्त पूर्ति की जावेगी।

शासन के आदेशानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित है। इनकी गणना भी महिलाओं की भांति जाति वर्ग वार पृथक पृथक की जावेगी।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य/खुली प्रतियोगिता वर्ग के जो रिक्त स्थान है उन पर मेरिट के आधार पर किसी भी जाति वर्ग कका उम्मीदवार स्थान पाने का हक रखता है और यदि इन पदों पर मेरिट के आधार पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार चयनित हो जाता है तो उसकी गणना उसके आरक्षित वर्ग में नहीं की जावेगी।

1.10.4 उपरोक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये ऐसे उम्मीदवार जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, की उसी क्रम में ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में प्रकट हुए हों भले ही अन्य उम्मीदवारों से उनकी तुलनात्मक स्थिति भिन्न ही क्यों न हो।

1.10.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के योग्य घोषित किया है, की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

1.11 सीधी भरती की पात्रता की शर्तेः

1.11.1 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध मेंः—

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहियें।

टिप्पणीः—

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में मेवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बज जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

(i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.11.2 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है, सिफ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा विज्ञापन के वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए।

1.12 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा:-

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2(अ)-244-95-ब(4) दिनांक 14 अगस्त 1995 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा विज्ञापन के वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस अधिसूचना के साथ साथ मध्यप्रदेश शासन : सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क. सी-3-2-97-3 एक दिनांक 7 फरवरी 1997, ज्ञाप क्रमांक सी-3-12/2010/1/3 दिनांक 4 जून 2010, ज्ञाप क्रमांक सी-3-10/2012/3/एक दिनांक 30 अगस्त 2012, ज्ञाप क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष	सामान्य/अनारक्षित	28 वर्ष
2.	पुरुष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	33 वर्ष
3.	पुरुष	सभी वर्गों के भासकीय/निगम/मण्डल/स्व गासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक	36 वर्ष
4.	महिला	सामान्य /अनारक्षित वर्ग	38 वर्ष
5.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	43 वर्ष
6.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	43 वर्ष
7.	महिला	सभी वर्गों की भासकीय/निगम/मण्डल/स्व गासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक	45 वर्ष
8.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष

1.13 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (घ) बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली, छूट, बिन्दु 1.12 की तालिका में अंकित 1 से 8 तक मिलने वाली छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.14 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (क) मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-(अ) 541 / 92 / ब (4) दो, दिनांक 04.04.1995 के अनुसार पुलिस विभाग में विकलांगों/निःशक्तजनों की भरती से छूट प्रदान की गई है। अतः पुलिस विभाग के पदों की चयन परीक्षा में निःशक्तजनों आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- (ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ब तर्तु कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, ब तर्तु कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (घ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ब तर्तु कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मिलव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिंगों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्से अन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्त पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवका अवधि पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (च) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी ।
- (छ) ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
- टीप-** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे । अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी । विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- (2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा । सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

1.15 शारीरिक योग्यता :-

भरती के लिये निन्नानुसार शारीरिक अर्हताएं होना आवश्यक हैः—

1.15.1 ऊंचाई (सेन्टीमीटर में)

1. पुरुष 162
 2. महिला 152
- ऊंचाई में कोई छूट नहीं दी जावेगी ।

1.15.2 अभ्यर्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपरंगता नहीं होना चाहिये ।

1.15.3 अभ्यर्थी के शरीर में नाक-नी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये, अभ्यर्थी को आंख से सम्बन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिये तथा आंख की तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 तथा दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये । अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिये ।

1.16 चयन का आधार :-

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] के पद एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)] पद हेतु

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)] पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी । साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा । लिखित परीक्षा में दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक

अंक का तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्नपत्र की योजना अध्याय-3 में उल्लेखित पाठ्यक्रम अनुसार निम्नानुसार रहेगी:-

स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य ज्ञान	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
4.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
	योग:-	100

नोट : परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइट पेन। उम्मीदवार को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

1.17 प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची:-

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिए गए संवर्ग के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य तथा रिक्त पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.18 पारस्परिक वरीयता:-

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तथा रिक्त पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान हाने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.19 सत्यापन / परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण:-

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
- (2) शैक्षणिक योग्यता (10+2) के प्रमाण पत्र,
- (3) व्यावसायिक अर्हता – कम्प्यूटर परीक्षा अथवा मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन के प्रमाण पत्र,
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
- (4) भूतपूर्व सेनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,
- (5) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
- (6) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,
- (7) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,

- (8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (9) "विक्रम पुरुस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट 'विक्रम पुरुस्कार' हेतु पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके विवाह की तिथि दर्शाने वाला विवाह-पंजीकरण प्रमाण पत्र,
- (11) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

1.20 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व सत्यापन:-

लिखित परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची तथा पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची के आधार पर पुलिस मुख्यालय की चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है। विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी की नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय पुलिस विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो।

1.21 चरित्र सत्यापन:-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपात है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.22 स्वास्थ्य परीक्षण:-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मैडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मैडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.23 अर्थर्थिता/चयन के संबंध में निरहताः-

- (क) ऐसा अभ्यर्थी जिसने पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
- (ग) ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।
- (घ) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

- (ङ.) कोई भी अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपरिथित होने के लिये निरहित माना जा सकेगा।
- (छ) कोई भी अभ्यर्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाये, अयोग्य होगा।
- (ज) यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया हो, दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हा, अयोग्य होगा।

1.24 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर मध्यप्रदेश शासन तथा पुलिस विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.25 यात्रा भत्ता का भुगतान :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपरिथित होने पर पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदे 1 भासन द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1.26 न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

1.27 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त नियमों का पूर्व अनुमोदन म0प्र0 शासन: गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (अ) 101/2012/बी-4/दो दिनांक 18 सितम्बर 2012 द्वारा प्राप्त किया गया है।

1.28 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)] की सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में इसके पूर्व जारी सभी परिपत्र, राजपत्र आदेश तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगे।

पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें अलग-अलग पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता क्रम में आवेदित पद/पदों की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प/प्राथमिकता अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

पदनाम
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक]
सूबेदार (अनुसचिवीय) शिश्रूलेखक(स्टेनोग्राफर)

- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अर्थर्थिता निरस्त समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उसकी अर्थर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो।
- 2.4 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता है ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नहीं भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।
- 2.5 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

- 2.6 आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश:-
- (i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।
- (iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए । यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा ।
- (v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा । अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियों आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा ।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए ।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए ।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा ।
- (ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए ।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए ।
- (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए ।

2.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

2.7.1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा । यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी ।

2.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा । इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी । परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा ।

2.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी । संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी । एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

2.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2.8 परीक्षा प्रवेश—पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन—पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश—पत्र (Test Admit Card TAC) मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश—पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :— अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश—पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश—पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट— प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा शहर :—

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :—

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	बालाघाट	8.	देवास	15.	रतलाम
2.	होशंगाबाद	9.	ग्वालियर	16.	रीवा
3.	भोपाल	10.	इन्दौर	17.	सागर
4.	छतरपुर	11.	जबलपुर	18.	सतना
5.	छिंदवाड़ा	12.	खण्डवा	19.	सिवनी
6.	धार	13.	मंदसौर	20.	शहडोल
7.	गुना	14.	खरगौन	21.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2.10 परीक्षा शुल्क :—

उक्त परीक्षा में सीधी भर्ती के पदों हेतु परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 500/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये रु. 250/- निर्धारित है। सीधी भर्ती—बैकलॉग के पदों हेतु कोई परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों के द्वारा देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन—पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा।

2.11 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :—

प्रवेश—पत्र, काला बॉलप्याइंट पेन। उम्मीदवार को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:— आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

2.12 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.13 परीक्षा का प्रश्न—पत्र :—

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न—पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्याइंट पेन से काला करना होगा।

2.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक छोट पहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.15 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.16 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- कोई भी विकल्प सही न हो।
- यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में

उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 02 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.17 प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-5 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.18 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-

(1) **मॉडल आंसर्स :-** परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-6 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) **फायनल आंसर्स :-** प्रारूप 05 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 06 में मण्डल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को “की” समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। “की” समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेंगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.16 अनुसार “की” समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे। “की” समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जा सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.20 अंक सूची :-

पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.21 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से ४: माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.22 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

----0----

अध्याय — 3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

भाग — 1 : मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान — **25 अंक**

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियाँ, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)

भाग — 2 : सामान्य हिन्दी — **25 अंक**

वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्री लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विपरीतार्थक (विलोमार्थक) शब्द, समानार्थक या पर्यायावाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधिव संधि विच्छेद, क्रिया से भाव वाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि।

भाग — 3 : प्रारंभिक गणित — **10 अंक**

प्रारंभिक गणित — गुणा, भाग, दशमलव अंक, निम्न (फ्रेक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ—हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्बंधित प्रश्न।

भाग — 3 : कम्प्यूटर ज्ञान — **40 अंक**

Operating System Windows 2003-2007, Windows Xp, Microsoft Office 2003-2007, Processor & Memort, Database Management System, Computer Languages, Languages, Introduction to Internet & Internet Working

अध्याय-4

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :—

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये —

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....		
प्रमाण पत्र क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक.....	

स्थायी जाति प्रमाण पत्र—नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 पिता/पति का नाम निवासी/ग्राम/नगर
 विकास खण्ड तहसील जिला संभाग
 जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह
 जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
 पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की हैं।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुजनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....		
प्रमाण पत्र क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक.....	

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पिता/पति का नाम
.....निवासी/ग्राम/नगर वि.ख. तहसील....
.....जिला..... संभाग..... जाति/जनजाति का/की सदस्य
हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
.....पर अंकित हैं, अतः श्री/ श्रीमती/ कुमारीपिता/पति
का नाम अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....हैं।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
 प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
 (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)
 कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
 पुस्तक क्रमांक.....
 प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का.....
नामनिवास/ग्राम/नगरवि.ख.....तहसील.....जिला.....
संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं,
 जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
 क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
 श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामऔर/उनका परिवार
 सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिलासंभाग.....में निवास करता है। यह भी प्रमाणित
 किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं
 आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.)
 दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप
 क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया
 गया है।
 3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की कुल वार्षिक
 आय रूपये.....हैं।

दिनांक
 (सील)

हस्ताक्षर
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
 प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास
 करता है।
 जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य
 प्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
 प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
 (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)
 कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
 पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का
 नामनिवास/ग्राम/नगरवि.ख.
 तहसील.....जिला.....संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....
 जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
 की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
 श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामऔर/उनका परिवार
 सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिलासंभाग में निवास करता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि
 श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका
 उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993
 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र.
 /दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
 3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की
 कुल वार्षिक आय रूपये.....हैं।

दिनांक
 (सील)

हस्ताक्षर
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को
 प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/
 अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए
 गए प्रारूप के अनुसार होगा।

**प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(देखें नियम 2.16)**

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) [निम्न श्रेणी लिपिक] एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] के रिक्त सीधी भर्ती एवं सीधी-भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु चयन परीक्षा-2013 में अनुक्रमांक से परीक्षा केन्द्र..... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ। मेरे द्वारा प्रश्न—पुस्तिका कोड के सेट क्रमांक..... हल किया गया है। इस प्रश्न—पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:-

स.क्र.	प्रश्न क्रमांक/उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साध्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर.....
दिनांक आवेदक का नाम.....

परीक्षा का नाम.....
अनुक्रमांक.....
परीक्षा केन्द्र का नाम.....

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

मॉडल उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.17)

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में
उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदाति सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित
उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदाति ति उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर :—.....

दिनांक :—.....

सहमति प्रमाण—पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्व पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) [शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)] के रिक्त सीधी भर्ती एवं सीधी-भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु चयन परीक्षा-2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1, 2 व 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण—पत्र सत्यापित / हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :—.....
पदनाम :—.....
सील :—.....
